एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर

87

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1008—एक/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 12—01—2012 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 09/2009—10/निगरानी

.....

चतुरी बेवा चतरू क्लार
निवासी—श्योपुरकंला, तहसील व
जिला—श्योपुर (म0प्र0) .....आवेदिका

विरूद्ध

1— म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर
2— म0प्र0 शासन द्वारा सहायक संचालक
उद्यान विभाग, श्योपुर
3— कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग, जल
संसाधन विभाग, श्योपुर, म0प्र0 .....अनावेदकगण

.....

श्री रवि चौधरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0 त्यागी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 5-10-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 09/2009—10/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12—01—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील श्योपुर के ग्राम सलापुरा में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 298, 299 रकबा 07 बीघा 10 विस्वा को आवेदिका द्वारा अपनी पुस्तैनी भूमि होकर दादा भुवान्या के भूमि स्वामित्व स्वत्व पर शासकीय कागजात में दर्ज होना बताया गया। विवादित भुमि के संबध में निरंतर मामले चलते रहे। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू ए नम्बर 12/2008 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2008 से

संहिता की धारा 57 (2) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2008 के पालन में आवेदिका द्वारा म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 (2) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/2007–08 अ–1 पर दर्ज करते हुये, पारित आदेश दिनांक 07.10.2009 से संहिता की धारा 57 (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 07.10.2009 से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना में पेश की गई है। जहॉ प्रकरण क्रमांक 09.2009–10/निगरानी पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 12.01.2012 द्वारा निगरानी आधारहीन एवं महत्वहीन मानते हुये निरस्त की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2009 स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में संहिता की धारा 57 (2) का आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष पेश किया गया था, किन्तु उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही न करते हुये अवैध आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण को दिनांक 30.06.2009 से यह आदेश दिया गया था कि कितनी भूमि अधिग्रहण की गई तथा शेष भूमि किसके आदेश से खसरे में अनावेदकगण के नाम दर्ज की गई, किन्तु कोई जबाब पेश नहीं किया गया। आवेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया था कि कुल 07 बीघा 10 विस्वा भूमि में से मात्र 2 बीघा 15 विस्वा भूमि अधिग्रहण की गई है, शेष 4 बीघा 15 विस्वा भूमि शासकीय अंकित कर दी गई । इस संबध में संबंधित अभिलेख को मंगाया जावे, किन्तु कोई अभिलेख नहीं भेजा गया जिससे यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता की शेष 4 बीघा 15 विस्वा भूमि अवैध आधार पर शासकीय घेषित की गई है। अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार से कोई जांच नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की पुनः जांच कराने के लिये अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा

नहीं किया गया । अतः ऐसा आदेश विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मैंने प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें संहिता की धारा 57(2)के तहत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, उसके पालन में आवेदन पत्र पेश किया गया था । आवेदन पत्र में विवादित भूमि को अपने दादा भुवान्या के नाम होने का उल्लेख यिा गया है । यह भी उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि में से मात्र 2 बीघा 15 विस्वा भूमि ही अधिग्रहण की गई थी, शेष 4 बीघा 15 विस्वा भूमि पर आवेदिका हमेंशा खेती करती चली आ रही है, किन्तु अनावेदकगण पूरे रकबा 7 बीघा10 विस्वा पर इन्द्राज बिना किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के करा लिया और उसी का फायदा उठाकर आवेदिका की शेष भूमि रकबा 4 बीघा 15 विस्वा को हड़पना चाहते है । आगे आवेदन में यह भी बताया है कि आवेदिका तथा शासन के बीच विवाद है । अतः धारा 57(2) के तहत प्रकरण में सुनवाई की जावे ।

6/ अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष सहायक संचाल उद्यान विभाग, श्योपुर एवं कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग, श्योपुर उपस्थित हुये थे और प्रकरण में जानकारी दी गई थी, कि विवादित भूमि की अधिग्रहण की कार्यवाही दिनांक 10.01.1958 को की गई थी, जिसमें किसी काश्तकार द्वारा को आपत्ति नहीं की गई थी, न तो आवेदिका के दादा भुवान्या द्वारा कोई आपत्ति की गई । विवादित भूमि के अधिग्रहण करने के बाद उसका मुआवजा उसी समय भूमिस्वामियायें को दे दिया गया था । यदि किसी को कोई आपत्ति होती तो मुआवजा प्राप्त करने से पहले की जाती । इस प्रकार आवेदिका का यह कहना कि उसकी शेष भूमि 04 बीघा 15 विस्वा अधिग्रहण नहीं हुई थी, इसका न तो आवेदिका के पास कोई प्रमाण है और न ही वह अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना में पेश कर सकी है । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 57(2) के अन्तर्गत कार्यवाही वही व्यक्ति कर सकता है जो संहिता के प्रभावशील होने के दिनांक यानि कि 2 अक्टूबर 1959 के पूर्व भूमिस्वामी के रूप में या

कब्जाधारी के रूप में दर्ज हो । आवेदिका का न तो 2 अक्टूबर 1959 को विवादित भूमि पर कब्जा था और न ही वह उस समय भूमिस्वामी थी । संहिता की धारा 57(2) के अन्तर्गत भूमिस्वामी तथा शासन के मध्य ही कार्यवाही किशे जाने का प्रावधान है । संहिता की धारा 57(2) का उपयोग किसी व्यक्ति को भूमि के वितरण के लिये नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके अधीन भूमि पर नवीन अधिकार नहीं दिये जा सकते, वरन विद्यमान अधिकारों को ही मान्यता दी जा सकती है । किसी पुरानी प्रविष्टि को इस धारा के अधीन ठीक नहीं कराया जा सकता है । इस प्रकार आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 57(2) की परिधि में न आने के कारण अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई भूल नहीं की है । इसी आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.01.2012 में अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2012 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर